

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग-5
संख्या- /XXVII(9)/स्टाम्प/2005
देहरादून: दिनांक 4 जनवरी, 2006
अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैसर्स एल्पस इन्डस्ट्रीज के पक्ष में काशीपुर कताई मिल को पुनर्जीवित करने उद्देश्य से "लीज एग्रीमेन्ट" को रजिस्टर्ड कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) तक निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04) 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तरांचल।
6. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग-5 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।